



स्थानीय राजपत्र

गौरीशङ्कर गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड ४

सङ्ख्या १

मिति: २०७८/०४/०१

भाग १

गौरीशङ्कर गाउँपालिका

नेपालको संविधानको धारा २२२ को उपधारा १ बमोजिमको गाउँसभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

सम्बत् २०७८ को ऐन सङ्ख्या १

गौरीशंकर गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७८

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिति : २०७८।०३।३१

प्रमाणिकरण मिति : २०७८।०३।३१

प्रस्तावना:

गौरीशंकर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) को अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम गौरीशंकर गाउँपालिकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम “गौरीशंकर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८” रहेको छ।

(२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखि गौरीशंकर गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पत्ति कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि -१ बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. **भूमि कर (मालपोत):** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि -२ बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

४. **घर वहाल कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि-३ बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

५. **व्यवसाय कर वा दर्ता शुल्क :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि -४ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि -५ बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. **विज्ञापन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि -६ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

८. **मनोरञ्जन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि -७ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
९. **बहाल बिटौरी शुल्क:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि - ८ मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१०. **पार्किङ शुल्क:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि -९ बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
११. **ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र ज्याफ्टीङ्ग शुल्क:** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र ज्याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत अनुसूचि -१० बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१२. **सेवा शुल्क, दस्तुर:** गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि -११ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१३. **पर्यटन शुल्क:** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूबाट अनुसूची -१२ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
१४. **कर शुल्क र दस्तुर छुट:** यस ऐन बमोजिम कर, शुल्क र दस्तुर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
१५. **ढुंगा, गिटी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरिढुंगा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत कर :** गाउँपालिकाले प्रदेश कानुन बमोजिमको ढुंगा, गिटी, स्लृट, बालुवा, चुनढुंगा, खरिढुंगा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत कर असुल गर्नेछ ।

१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ । साथै यस ऐनमा समावेश नभएको विषयमा कर तथा शुल्क लिनु पर्ने अवस्थामा कार्यपालिकाको निर्णयानुसार कर तथा शुल्क उठाईने छ र उक्त दर लगत्तै बस्ने गाउँसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने छ।

अनुसूची -१

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

गौरीशंकर गाउँपालिकाले लगाउने सम्पत्ति कर/घरजग्गा करको दर

१. सम्पत्ती कर र जग्गाको मुल्यांकन :

| १.१ सम्पत्ति कर : | | | दर (रु.) |
|-------------------|------------------------------|---------|----------|
| क) | रु. १ देखि ३ लाख सम्म | वार्षिक | 100.00 |
| ख) | रु. ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | वार्षिक | 200.00 |
| ग) | रु.५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | वार्षिक | 300.00 |
| घ) | रु.१० लाख १ देखि १५ लाख सम्म | वार्षिक | 500.00 |
| ङ) | रु.१५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | वार्षिक | 750.00 |
| च) | रु.२० लाख १ देखि ३० लाख सम्म | वार्षिक | 1,000.00 |
| छ) | रु.३०लाख १ देखि ४० लाख सम्म | वार्षिक | 1,500.00 |

| | | | |
|------------------------------|--|---------|-------------|
| ज) | रु.४० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | वार्षिक | 2,000.00 |
| भ) | रु.५० लाख १ देखि १ करोड सम्म (रु. २००० देखि ५००० सम्म) | वार्षिक | 3,500.00 |
| त्र) | रु.१ करोड भन्दा माथि प्रतिहजार एक रुपैयाँको दरले | वार्षिक | 5,000.00 |
| १.२ जग्गाको मुल्यांकन | | | |
| क) | पीच बाटोले छोएको खेतहरु प्रति रोपनी | वार्षिक | 5,00,000.00 |
| ख) | वडा जोड्ने बाटोले छोएको खेतहरु प्रति रोपनी | वार्षिक | 3,00,000.00 |
| ग) | कच्ची बाटोले छोएको खेतहरु प्रति रोपनी | वार्षिक | 2,00,000.00 |
| घ) | बाटोले नछोएको खेतहरु प्रति रोपनी | वार्षिक | 1,50,000.00 |
| ङ) | पीच बाटोले छोएको बारीहरु प्रति रोपनी | वार्षिक | 2,50,000.00 |
| च) | वडा जोड्ने बाटोले छोएको बारीहरु प्रति रोपनी | वार्षिक | 1,50,000.00 |
| छ) | कच्ची बाटोले छोएको बारीहरु प्रति रोपनी | वार्षिक | 1,25,000.00 |
| ज) | बाटोले नछोएको बारीहरु प्रति रोपनी | वार्षिक | 75,000.00 |
| भ) | पाखो खरबारी प्रति रोपनी | वार्षिक | 50,000.00 |

अनुसूची -२

भूमि/मालपोत कर

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउन सक्ने भूमि कर (मालपोत) करको दर : मालपोत (जग्गा तिरो)

| क्र.सं. | जग्गाको प्रकार | एकाई | मालपोत दस्तुर (तिरो) | कैफियत |
|---------|----------------|-------------|----------------------|---------|
| १ | अब्बल | प्रति रोपनी | रु. ५ | वार्षिक |
| २ | दोयम | प्रति रोपनी | रु. ५ | वार्षिक |
| ३ | सिम | प्रति रोपनी | रु. ५ | वार्षिक |
| ४ | चाहार | प्रति रोपनी | रु. ५ | वार्षिक |

अनुसूची -३

घरजग्गा बहाल कर

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउन सक्ने घर जग्गा बहाल करको दर :

| सि.नं. | राजश्वको क्षेत्रहरु | दर | कैफियत |
|--------|---------------------|------------|---------|
| १ | घर जग्गा बहाल कर | १० प्रतिशत | वार्षिक |

अनुसूची -४
व्यवसाय कर

| व्यवसाय कर र शुल्क (रुपैयामा) | | |
|---|---------------------|---------|
| मदिरा पसल | वितरक | 3000.00 |
| | थोक | 2000.00 |
| | खुद्रा | 500.00 |
| चुरोटविडी सुतीं जन्य | वितरक | 2000.00 |
| | थोक | 1500.00 |
| | खुद्रा | 200.00 |
| हल्कापेय पदार्थ | वितरक | 1500.00 |
| | थोक | 1000.00 |
| | खुद्रा | 500.00 |
| सुनचाँदी पसल | थोक | 1500.00 |
| | खुद्रा पसल र मर्मत | 1000.00 |
| औषधी पसल | थोक | 3000.00 |
| | खुद्रा डाक्टर भएको | 2000.00 |
| | खुद्रा डाक्टर नभएको | 1000.00 |
| माछा मासु विक्रि पसल | | 1000.00 |
| आयुर्वेदिक औषधि पसल | | 500.00 |
| एग्रोभेट पसल | थोक | 2000.00 |
| | खुद्रा | 200.00 |
| स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल | थोक | 1500.00 |
| | खुद्रा | 500.00 |
| छपाई तथा प्रकाशन | अफसेट प्रेस | 2000.00 |
| | साधारण प्रेस | 500.00 |
| कस्मेटिक पसल | | 500.00 |
| मोटर पार्ट्स | थोक | 2000.00 |
| | खुद्रा | 500.00 |
| प्लाई तथा ग्लास | थोक | 2000.00 |
| | खुद्रा | 100.00 |
| कपडा/फेन्सी/जुत्ताचप्पल/व्याग पसल | थोक | 1000.00 |
| | खुद्रा | 500.00 |
| धागोटाक पसल | थोक | 1000.00 |
| | खुद्रा | 100.00 |
| इलेक्ट्रोनिक पसल -मोबाईल, घडी, क्याल्कुलेटर, अडियो, भिडियो आदि) | वितरक | 3000.00 |

| | | |
|---|--------------------------------------|---------|
| | थोक | 1500.00 |
| | खुद्रा | 1000.00 |
| हार्डवेयर/मेसिनरी/स्यानिटरी/मार्बल पसल | थोक | 2000.00 |
| | खुद्रा | 1000.00 |
| पेट्रोलियम पदार्थ | पेट्रोल पम्प | 5000.00 |
| | पेट्रोल विक्री केन्द्र | 3000.00 |
| | ग्यास सिलिन्डर सब डिलर | 3000.00 |
| | मट्टितेल मात्र विक्री | 200.00 |
| स्टील आलमुनियम पसल | थोक | 1000.00 |
| | खुद्रा | 500.00 |
| फर्निचर | थोक | 1000.00 |
| | खुद्रा | 500.00 |
| दुङ्गा तथा गिट्टी, बालुवा विक्री वितरण गर्ने | | 1000.00 |
| कपडा सिलाई कटाई | टेलरिङ्ग आधुनिक | 200.00 |
| | हाते मेसिन | 100.00 |
| स्नुकर तथा पुल हाउस | | 1000.00 |
| क्यारेम बोर्ड | | 200.00 |
| पशु आहार विक्री केन्द्र | | 200.00 |
| किराना पसल | थोक | 1000.00 |
| | खुद्रा | 200.00 |
| फलफूल/तरकारी पसल | थोक | 500.00 |
| | खुद्रा | 200.00 |
| उपहार/गिफ्ट/खेलौना पसल | थोक | 500.00 |
| | खुद्रा | 200.00 |
| भाँडा पसल (स्टील, प्लास्टिक, आलमुनियम सबैथरी) | थोक | 1000.00 |
| | खुद्रा | 500.00 |
| माटाको भाँडा पसल | थोक खुद्रा | 100.00 |
| | | |
| विशेषज्ञपरामर्श तथा अन्य व्यवसायी सेवा | चिकित्सक | 2000.00 |
| | कन्सल्टेन्ट सेवा - इन्जिनियरिङ्ग) | 2000.00 |
| | कानून व्यवसायी 'ल' फर्म | 2000.00 |
| | लेखापरीक्षण व्यवसायी | 2000.00 |
| | दन्त चिकित्सक | 2000.00 |
| | अनुसन्धानकर्ता परामर्शदाता | 2000.00 |
| | पशु चिकित्सक डाक्टर | 2000.00 |
| | रोजगार सेवा | 3000.00 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---------|
| ढुवानी तथा ट्रान्सपोर्ट | | 1000.00 |
| पेन्टर/साइनबोर्ड लेखे | | 100.00 |
| खोटो व्यवसायी | | 1000.00 |
| जग्गा व्यवसायी | | 2000.00 |
| निर्माण व्यवसायी | | 2000.00 |
| यस वर्गिकरणमा नपरेका व्यवसायको हकमा | | 500.00 |

उत्पादनमूलक उद्योग

| | | |
|--|------------------------------------|---------|
| ग्रील उद्योग | | 1000.00 |
| जुत्ता उद्योग | | 500.00 |
| घरेलु कुटिर उद्योग -अगरवत्ती) मैनवत्ती, टीकी, अचार तथा अन्य कुटिर) | | 100.00 |
| कपडा तथा गार्मेन्ट उद्योग | | 1000.00 |
| सिरकडसना उद्योग पसल | | 500.00 |
| कुटानीपेलानी/मिल | | 500.00 |
| मसलामिल | | 500.00 |
| नोट: यदि मसला मिल रहेको मिलबाटै कुटानी पेलानीमिल पनि छ भने कुटानी पेलानी मिलकै व्यवसाय कर लाग्ने छ । ग्रील उद्योग | | |
| डेरी उद्योग/व्यवसाय | | 500.00 |
| उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग | कुकिज नुडल्स | 500.00 |
| | दालमोट, पाउरोटी, चाउमिन | 200.00 |
| | पापड, चिप्स फिगर | 200.00 |
| वनजन्य उद्योग | समिल प्लाइउड उद्योग | 2000.00 |
| | काठ विक्री डिपो | 500.00 |
| क्रसर-कन्क्रीट-इटाभट्टा | | 5000.00 |
| ढाका टोपी, पस्मिना उद्योग | | 100.00 |
| सुर्तिजन्य उद्योग | | 5000.00 |
| होटल लज रेष्टुरेन्ट | होल र लज | 1000.00 |
| | भोजनालय | 500.00 |
| | मिठाई पसल | 500.00 |
| | रेष्टुरेन्ट प्यालेस | 2500.00 |
| | पाटी प्यालेस | 2000.00 |
| | चिया र खाजा पसल | 200.00 |
| | साना, खाजा-नास्ता पसल (मदिरा सहित) | 1000.00 |
| टेन्टहाउस | | 2000.00 |

सेवा उद्योग

| | | |
|---------------------------------------|--|---------|
| सञ्चार | एफ.एम.प्रसारण | 2000.00 |
| | केबुल च्यानल प्रसारण | 2000.00 |
| | पत्रपत्रिका प्रकाशन सेवा | 1000.00 |
| | फोटोकपी, पि.सि.ओ. साइवर तथा क्याफे | 500.00 |
| | कुरियर सेवा | 1000.00 |
| | कलर ल्याव/फाटो स्टुडियो | 500.00 |
| वित्तीय | वाणिज्य बैंक प्रति शाखा/केन्द्रिय | 5000.00 |
| | विकास बैंक प्रति शाखा/केन्द्रिय | 4000.00 |
| | फाइनान्स कम्पनी शाखा कार्यालय | 3000.00 |
| | वित्तीय/ऋण सहकारी संस्था | 1500.00 |
| | मनी/ट्रान्सफर | 500.00 |
| | विमा कम्पनी | 2000.00 |
| | लघुवित्त | 1000.00 |
| स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय | निजी अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होम | 2500.00 |
| | क्लिनिक तथा ल्याव | 1000.00 |
| | चस्मा पसल | 500.00 |
| शिक्षा सेवा निजी | क्याम्पस | 2000.00 |
| | मावि./उमावि | 1500.00 |
| | मावि | 1000.00 |
| | आधारभूत | 1000.00 |
| | प्राथमिक | 1000.00 |
| | छात्रावास | 1000.00 |
| | मन्टेश्वरी | 1000.00 |
| | पूर्व प्राथमिक | 800.00 |
| | ट्युशन सेन्टर | 1500.00 |
| | कम्प्युटर/नृत्यकला सिकाई केन्द्र | 1000.00 |
| | तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र | 1000.00 |
| मर्मत सम्भार | टायर-ट्युव मर्मत, रिसोलिङ्ग हावा भर्ने | 200.00 |
| | इन्जिन मर्मत | 1500.00 |
| | डेन्टिङ्ग पेन्टिङ्ग | 1500.00 |
| | टि.भि.,फ्रिज, मोटर, पड्ड्या, रेडियो, घडी, जेनेरेटर, कम्प्युटर, मोबाइल -इलेक्ट्रोनिक) | 1000.00 |
| | मोटरसाइकल मर्मत | 500.00 |
| | बस, ट्याक्सी लगायतका सवारी साधन मर्मत | 2000.00 |
| | अन्य विविध मर्मत | 500.00 |
| ड्राइक्लिनिक, व्युटी पार्लर तथा सैलून | 1000.00 | |
| फूलविरुवा पसल | 500.00 | |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| गैर सरकारी संस्थाहरु | राष्ट्रिय | 1000.00 |
| | अन्तराष्ट्रिय | 5000.00 |
| | बस ट्रक ट्याक्टर र हेभी गाडी | 2000.00 |
| | भाडाका कार जिप | 1000.00 |
| | निजी कार, जीप, मयुरी | 500.00 |
| | स्कुटर, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी साधनमा | 200.00 |
| | ठेलागाडा तथा रिक्सामा | 500.00 |
| पटके सवारी कर | | 50.00 |
| मनोरञ्जन कर | सिनेमा हल तथा मनोरञ्जन प्रदर्शन स्पलको प्रवेश शुल्कमा | 2.00% |
| | जादु सर्कस चटक आदिमा | प्रतिदिन 300 |
| जडिबुटी जिव जन्तुकर | पछि निर्णय गरिने | |
| बहाल विटौरी कर | टहरो छाप्रोको मासिक | 50.00 |
| | घुम्ती मासिक | 50.00 |
| | ठेला मासिक | 50.00 |

अनुसूची -५

जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु निकासी करको दर :

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---------|------------------|--------|-------------------|--------|
| 1. | सुनपाती | के.जी. | 1.25 | |
| 2. | विष | के.जी. | 4.00 | |
| 3. | मजिठो | के.जी. | 1.25 | |
| 4. | ओखर फलको बोक्रा | के.जी. | 1.00 | |
| 5. | ओखर काण्ड बोक्रा | के.जी. | 10.00 | |
| 6. | सुगन्ध कोकिलाफल | के.जी. | 3.75 | |
| 7. | चिराईतो | के.जी. | 2.00 | |
| 8. | चुत्रोको बोक्रा | के.जी. | 0.25 | |
| 9. | अल्लो | के.जी. | 1.00 | |
| 10. | अर्गेली | के.जी. | 2.25 | |
| 11. | लोक्ता | के.जी. | 5.00 | |

| | | | | |
|--|--|-----------|---------|--|
| 12. | ठिङ्ग्रे सल्लाको सिम्टा | के.जी. | 20.00 | |
| 13. | पदमचाल | के.जी. | 2.50 | |
| 14. | धंसिगरे तेल | के.जी. | 15.00 | |
| 15. | अम्रिसो | | 0.20 | |
| 16. | गोब्र सल्लाको सिम्टा | के.जी. | 0.10 | |
| 17. | भिरमह | के.जी. | 5.00 | |
| 18. | सतुवा | के.जी. | 10.00 | |
| 19. | धुपीपात | के.जी. | 1.00 | |
| 20. | नागबेली | के.जी. | 0.25 | |
| 21. | सुनपाती तेल | के.जी. | 50 | |
| 22. | नेपाली कागज | के.जी. | 5.00 | |
| 23. | सल्लो, उत्तिस र अन्य बरामदी काठ (गोलिया) | क्यू. फिट | 2.00 | |
| 24. | सल्लो, उत्तिस र अन्य बरामदी काठ (गोलिया) | क्यू. फिट | 2.50 | |
| 25. | अलैची | के.जी. | 2.00 | |
| 26. | यार्सा गुम्बा | के.जी. | 1500.00 | |
| 27. | खोटो | के.जी. | 1 | |
| गौरीशंकर गाउँपालिका भित्र उत्पादन भई निकासी हुने माथि उल्लेखित बाहेक अन्य वस्तुहरुको हकमा गाउँपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ । | | | | |

क) प्रचलित कानूनले निषेध गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पंक्षीको प्वाँख र पशुको हाड, छाला, सिङ र खुर निकासी गरेको दर :

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---------|-----------|--------|-------------------|--------|
| 1. | प्वाँख | के.जी. | 3 | |
| 2. | हाड | के.जी. | 2 | |
| 3. | सिङ्ग | के.जी. | 3 | |
| 4. | खुर | के.जी. | 3 | |
| 5. | छाला ठुलो | गोटा | 50 | |
| 6. | छाला सानो | गोटा | 25 | |

ख) कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको निकासी गरेको दर : (व्यवसायिक प्रयोजनका लागि)

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---------|----------------------------|------|-------------------|--------|
| 1. | भैसी जात (भैसी, राँगा आदी) | गोटा | 100 | |

| | | | | |
|-----|---|--------------|------|--|
| 2. | गाई जात (गाई, गोरु आदी) | गोटा | 50 | |
| 3. | भेडा, बाखा, बंगुर जात (भेडा, बाखा, बंगुर आदी) | गोटा | 25 | |
| 4. | कुखुरा/कुखुराको जात | ट्रिप | 500 | |
| 5. | कुखुराको चल्ला निर्यात | प्रति गोटा | 0.50 | |
| 6. | अण्डा (सात केट बराबर एक बाकस) | बाकस | 5 | |
| 7. | अनाज (धान, मकै, गोदो, गहुँ) | मुरी | 50 | |
| 8. | आलु | प्रति के.जी. | 0.25 | |
| 9. | गोलभेडा, काउली (ठुलो ट्रक) | ट्रिप | 500 | |
| 10. | गोलभेडा, काउली (मिनी ट्रक/ट्याक्टर) | ट्रिप | 250 | |
| 11. | बन्दा, साग (ठुलो ट्रक) | ट्रिप | 250 | |
| 12. | बन्दा, साग (मिनी ट्रक/ट्याक्टर) | ट्रिप | 150 | |
| 13. | लसुन, बेसार, अदुवा (ठुलो ट्रक) | ट्रिप | 1000 | |
| 14. | लसुन, बेसार, अदुवा (मिनी ट्रक) | ट्रिप | 500 | |

अनुसूची -६

विज्ञापन कर

गाउँपालिका क्षेत्र भित्र लाग्ने विज्ञापन करको दर :

१) गाउँपालिकाले आफ्नो हकभोगको घर, जग्गा वा सार्वजनिक स्थलमा विज्ञापन वा साइनवोर्ड राख्नेलाई दैनिक/मासिक/बार्षिक रुपमा गाउँ सभाद्वारा निर्धारण गरिएको करको दर :

होडिड बोर्ड सेवा शुल्क निम्नानुसार लगाईने छ ।

क) व्यापारिक वस्तुहरुको विज्ञापनमा प्रति वर्ग फिट रु ५०।०० पचास

ख) व्यानर सार्वजनिक स्थानमा राख्दा रु. ५०।०० पचास ।

ग) मनोरञ्जन मुलक विज्ञापन वापत रु. १०००।०० एक हजार प्रतिवर्ष

घ) १ मिटर र १ वर्ग फिट सम्मको विज्ञापन १ महिना सम्मको प्रतिदिन रु १ र सो भन्दा बढि राख्नु परेमा प्रतिदिन रु २

ङ) आफ्नो व्यवसाय परिचयको लागि १५ स्क्वायर फिट सम्म १ थान वोर्ड व्यवसायीले आफ्नो पसल वा व्यवसाय रहेको भित्ता पर्खाल वा अगाडिको भागमा राख्न पाउने छ । १ भन्दा धेरै वोर्ड राख्नु परेमा माथिको दररेटमा सम्बन्धित व्यवसायिले विज्ञापन कर वापत बुझाउनु पर्ने छ ।

अनुसूची -७
मनोरञ्जन कर

गाउँपालिका क्षेत्र भित्र लागने मनोरञ्जन करको दर :

- १) सिनेमा हल, भिडियो हल, साँस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर हल, संगीत तथा मनोरञ्जन प्रदर्शन स्थलको प्रवेश शुल्कमा ३ प्रतिशत सम्म ।
- २) जादु, सर्कस, मेला, चटक, आदिमा प्रति दिन दुई सय रुपैया देखि पाँच सय रुपैया सम्म ।
- ३) भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र लगायतका व्यवसायिक भिडियो छायांकनमा प्रति भिडियो छायांकन रु. १०००।- असुल गरिनेछ ।

अनुसूची -८
बहाल विटौरी शुल्क

गाउँपालिका क्षेत्र भित्र लाग्ने बहाल विटौरी शुल्कको दर :

- (क) गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको खाली रहेको प्रति ऐलानी जग्गामा गाउँपालिका आफैले छाप्रा, टहरा निर्माण नगरी व्यक्ति विशेषले आफै छाप्रा, टहरा निर्माण गरी वा नगरी हाट बजार क्षेत्र वा सडक छेउका जग्गामा पसल वा अन्य कुनै व्यवसाय गरी बसेको भए त्यस्तो जग्गामा प्रति वर्ग फिट पाँच रुपैयाँ वार्षिक बहाल विटौरी कर लाग्नेछ ।

अनुसूची -९

पार्किङ शुल्क

गाउँपालिकाद्वारा निर्मित पार्किङ स्थलमा सवारी साधन पार्किङ गरेबापत तपशिल बमोजिमको पार्किङ शुल्क लगाउन र असुल उपर गर्न सकिने छ ।:

- क) ट्रयाक्टरको लागि पहिलो २ (दुई) घण्टाको लागि रु. १०१- र सो अवधि भन्दा बढिको लागि प्रति घण्टा रु. १५१- अधिकतम रु. ५०१-
- ख) हलुका सवारी साधनको लागि पहिलो २(दुई) घण्टाको लागि रु. १५१- र सो अवधि भन्दा बढिको प्रतिघण्टा रु. १५१- बढीका लागि रु. १००१- (एक सय)
- ग) हेभि सवारी साधनको लागि पहिलो २(दुई) घण्टाको लागि रु. २५१- (पच्चिस) र सो अवधि भन्दा बढिको लागि प्रतिघण्टा रु. १५ (पन्ध्र) र सोभन्दा बढिको लागि १५०१-(एक सय पचास)
- घ) मोटरसाईकलको लागि पहिलो २ (दुई) घण्टाको लागि रु. १०१- (दस) र सो अवधि भन्दा बढिको लागि प्रतिघण्टा रु. ५१- (पाँच) बढीमा रु. ५०१-(पचास)

अनुसूची -१०

ट्रेकिङ्ग, कोयोकिङ्ग, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र च्याप्टीङ्ग शुल्क

- गाउँपालिका भित्र लाग्ने ट्रेकिङ्ग, कोयोकिङ्ग, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र च्याप्टीङ्ग शुल्कको दर:
- १) गाउँ क्षेत्र भित्रका खोला, नदी, पोखरीहरुमा जलविहार च्याप्टीङ्ग गर्ने व्यवसायीले गाउँपालिकाको रित्तपुर्वकको अनुमति पत्र लिई रु. ५०००।- (अक्षरेपी पाँच हजार) शुल्क तिरी च्याप्टीङ्ग कार्य संचालन गर्न सक्नेछ ।
 - २) ट्रेकिङमा जानको लागि प्रतिदिन ३,०००।- शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

अनुसूची -११
सेवा शुल्क दस्तुर

१) अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सेवा शुल्क :

क) सम्पत्ति मूल्याङ्कन (प्रति पटक)

- १० लाख रुपैयाँ सम्म रु. १००१- (एक सय रुपैया मात्र ।)
- १० लाख देखि २० लाखसम्म रु. २००१- (दुई सय रुपैया मात्र ।)
- २० लाख देखि ३० लाखसम्म रु. ३००१- (तीन सय रुपैया मात्र ।)
- ३० लाख देखि ४० लाखसम्म रु. ४००१- (चार सय रुपैया मात्र ।)
- ४० लाख देखि ५० लाखसम्म रु. ५००१- (पाँच सय रुपैया मात्र ।)
- ५० लाख देखि ६० लाखसम्म रु. ६००१- (छ सय रुपैया मात्र ।)
- ६० लाख देखि ७० लाखसम्म रु. ७००१- (सात सय रुपैया मात्र ।)
- ७० लाख देखि ८० लाखसम्म रु. ८००१- (आठ सय रुपैया मात्र ।)
- ८० लाख देखि ९० लाखसम्म रु. ९००१- (नौ सय रुपैया मात्र ।)
- ९० लाख देखि १ करोडसम्म रु. १०००१- (एक हजार रुपैया मात्र ।)
- १ करोड देखि माथि रु. २०००१- (दुई हजार रुपैया मात्र ।)

विभिन्न प्रकारका सिफारिस दस्तुर : (प्रति पटक)

| | |
|---|-----------|
| क) जग्गा दर्ता सिफारिस निवेदन फाराम र निवेदन दर्ता दस्तुर समेत | रु. १००१- |
| ख) जग्गा नामसारी सिफारिस निवेदन दर्ता र निवेदन फाराम समेत | रु. १००१- |
| ग) मोही दर्ता तथा मोही नामसारी सिफारिस निवेदन दर्ता र निवेदन फाराम समेत | रु. १००१- |
| घ) विभिन्न प्रकारका सिफारिस शुल्क : | |
| क) साना घरेलु उद्योग | रु. १००१- |
| ख) मझौला उद्योग | रु. २००१- |
| ग) ठुला उद्योग (चिरान मिल, फर्निचर उद्योग) | रु. ५००१- |
| घ) अन्य सेवा उद्योग तथा व्यवसाय सम्बन्धी सिफारिस | रु. १००१- |
| ङ) डिलर लिने सिफारिस | रु. ५००१- |
| च) माथि नखुलेका उद्योग व्यवसायका सिफारिसको हकमा गाउँपालिकाको निर्णयानुसार | |
| छ) नागरिकता लिनका लागि सिफारिस (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत) | रु. १००१- |
| ज) नागरिकताको प्रतिलिपी लिन सिफारिस अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत) | रु. १००१- |
| (भ्रु) अंगिकृत नागरिकता सिफारिस/नागरिकता त्याग सिफारिस | रु. १००१- |

(अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता बाहेक)

| | |
|---|------------|
| ब) धारा, विजुली जडान सिफारिस (निवेदन फाराम र निवेदन दर्ता समेत) | रु. २००१- |
| ट) काठ कटान, निकासी गर्न सिफारिस (प्रति कि.बी.) | रु. १००१- |
| ठ) प्रतिलिपी प्रमाणित/पञ्जिकरण दस्तुर (प्रतिपाना) | रु. १००१- |
| ड) चार किल्ला प्रमाणित १ कित्ता सम्म | रु. १००१- |
| ढ) घरबाटो भए नभएको प्रमाणित (ग्रामीण क्षेत्रमा) (निवेदन फाराम र निवेदन दर्ता समेत) | रु. २००१- |
| ण) एकिकृत सम्पत्ति कर रसिदको प्रतिलिपी | रु. १००१- |
| त) अन्य कागजातको प्रतिलिपी दस्तुर प्रति पाना | रु. १००१- |
| थ) घर जग्गा छुट्याउन अमिन फिल्ड जानु पर्दा | रु. २००१- |
| द) संचार टावर स्वीकृती सिफारिस (निजी क्षेत्र) | रु. ५०००१- |
| न) अस्थाई प्रकृतिको निर्माण स्वीकृती निवेदन फाराम प्रतिगोटा | रु. १००१- |
| प) नाता प्रमाणित | रु. १००१- |
| फ) नाता सम्बन्ध | रु. १००१- |
| ब) अंग्रेजीबाट गरिने जुनसुकै प्रकारका सिफारिसको प्रति सिफारिस (जन्म प्रमाणित, विवाह प्रमाणित, कर चुक्ता आदि) | रु. २००१- |
| भ) निजी स्तरका विद्यालय स्थापना तथा तह वृद्धि सम्बन्धी सिफारिस | रु. १०००१- |
| य) गाउँपालिकाको स्वामित्व रहेका पिच सडक काट्ने स्वीकृति | रु. ५०००१- |
| र) व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, बसाईसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद) (घटना घटेको ३५ दिन भित्र निःशुल्क) | रु. १०० |
| ल) सामान्य सिफारिस | रु. १०० |

२) फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क (मासिक) निम्नानुसार लगाईने छ :

| | |
|--|---------------------|
| क) आवासिय घर २ दुई तल्ला सम्म | रु. ५०१- |
| ख) ३ तल्ला वा सो भन्दा माथि प्रति तल्ला थप | रु. ५०१- |
| ग) पसल कवल भए प्रति पसल थप | रु. १००१- |
| घ) सामान्य प्रकृतीका होटल, रेष्टुरेन्ट थप | रु. १००१- |
| ड) ठुला प्रकृतीका होटल लज | रु. ५००१- |
| च) हस्पिटल | रु. १०००१- |
| छ) अन्य संघ संस्था | रु. २००१- |
| ज) वादविवाद (मुद्धा) सम्बन्धी निवेदन दर्ता | रु. ५०१- |
| झ) नक्शा पास गर्ने आवेदन पुस्तिका | रु. ५००१- प्रतिगोटा |
| ञ) सक्सन टयांक सेवा शुल्क प्रति टिप | रु. ५,०००१- |
| ट) ट्रयाक्टर भाडा | रु. २,५००१- |

३) 'घ' बर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी :

- क) घ बर्गको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र दस्तुर : रु १०,०००१-
- ख) घ बर्गको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर : रु ३०००१- (असोज मसान्तभित्र)
- ग) घ बर्गको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर : रु २०००१- (चैत्र मसान्तभित्र)
- घ) घ बर्गको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्रको प्रतिलिपि दस्तुर : रु १०००१- (असोज मसान्तभित्र)

नोट : यस अधि कानून बमोजिम जारी भएका 'घ' बर्गका इजाजत पत्र नवीकरण छुटेको तथा विगत तीन आर्थिक बर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म नवीकरण नभएकोमा खारेज हुने र विगत तीन आर्थिक बर्षसम्म नवीकरण छुटेकोमा प्रति छुटेको बर्षको तेब्बर दस्तुर समेत लिई नवीकरण गरिनेछ ।

४) नक्सा पास दस्तुर :

| क्र.सं. | विवरण | | रकम रु. |
|---------|---|----------------|----------|
| १. | सुर्खिचुना जोडाई | पटक | २,०००.०० |
| २. | माटो जोडाई कच्ची घर | पटक | ५००.०० |
| ३. | साविक बमोजिम भवन तथा घर मर्मत स्वीकृति | पटक | ५००.०० |
| ४. | अस्थायी टहरा साधारण | प्रति बर्ग फिट | १.०० |
| ५. | अस्थायी टहरा होटेल उद्योग आदि | प्रति बर्ग फिट | २.०० |
| ६. | माटो जोडाई पक्की घर | प्रति बर्ग फिट | २.०० |
| ७. | सिमेन्ट जोडाईको पक्की घर भुई तला | प्रति बर्ग फिट | २.०० |
| ८. | सिमेन्ट जोडाईको पक्की घर पहिलो तला देखि माथि | प्रति बर्ग फिट | ३.०० |
| ९. | होटल व्यवसाय र सपिड कम्प्लेक्सको लागि | प्रति बर्ग फिट | ८.०० |
| १०. | निर्माण भैसकेको घरको पछि नक्सा पास गर्दा मापदण्डभित्र रहेछ भने नियमित दस्तुरको अलवा थप | प्रति बर्ग फिट | २.०० |
| ११. | कम्पाउण्ड वाल सिमेन्ट जोडाई | प्रति बर्ग फिट | २.०० |
| १२. | कम्पाउण्ड वाल माटो जोडाई | प्रति बर्ग फिट | १.०० |
| १३. | गापा हुनु अगावै निर्माण भएको घरमा तल्ला थप गर्दा पहिलो निर्माण भए जति घरको हकमा प्रमाणित दस्तुर | प्रति बर्ग फिट | २.०० |

| | | | |
|-----|-------------------------|----------------|----------|
| १४. | नक्सा नामसारी दस्तुर | प्रति बर्ग फिट | 5.00 |
| १५. | घर निर्माण सरसफाई धरौटी | प्रति बर्ग फिट | 5,000.00 |

अनुसूची -१२

पर्यटन शुल्क

यस गाउँपालिका भित्रको घोषणा गरिएका पर्यटकीय क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकहरूलाई प्रति व्यक्ति रु. ५००/- (पाँच सय) निर्धारण गरिएको छ ।